||श्री श्री श्री रणेश्वर रामचण्डी चरणे शरणम्||

पं. क्र. 12153

सामाजिक नियमावली

2013

(1) जन्म से मृत्यु तक संस्कार :

(1.1) हिन्दु सनातन धर्मानुसार जो सोलह संस्कार वैध है, समाज के सभी व्यक्ति अपनी-अपनी सामर्थ्य अनुसार संस्कारों का अनुपालन करेंगे।

(1.2) गर्भ धारण पर अनावश्यक मेहमान नवाजी एवं मिठाई आदि लिया जाना तथा लडकी के ससुराल में गांव के लोगों को वितरण करने का कार्य पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए। गर्भावस्था के समय पर लड़की के माता पिता एवं परिवार के अन्य लोग फलमूल लेकर कन्या के घर जाना एवं समय पर मेडिकल जांच दवा आदि में सहयोग प्रदान करना तथा यथा संभव प्रसव अस्पताल में ही कराना या प्रशिक्षित दाई से प्रसव कराया जा सकेगा।

(1.3) षष्टी (छट्टी) कर्म पूर्ववत पारिवारिक स्तर पर शुद्धिकरण (साफ सुथरा) किया जावेगा।

(1.4) नामकरण यथा संभव ब्राम्हण से या परिवार के सदस्यों से अथवा स्वयं से करा सकेंगे।

(1.5) एकशिया - एकशिया कार्यक्रन अपने ग्राम के सदस्यों के साथ सामान्य भाव से तथा श्री सत्यनारायण भगवान की कथापूजा आदि के साथ किया जा सकेगा। जिसमें किसी प्रकार का भव्य आयोजन न हो, साथ ही उपहार आदि का प्रचलन भी न हो ।

(1.6) अन्नप्राशन में अपने कुल देवी श्री श्री श्री रणेश्वर रामचण्डी मंदिर अथवा सत्यनारायण व्रत या स्थानीय मंदिर के भोग पूजा से प्राप्त अन्न प्रसाद से अन्नप्राशन कराया जायेगा।

(1.7) विद्या आरंभ प्रत्येक बच्चे को किशोरावस्था तक शिक्षा प्रारंभ अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि माता पिता शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं तो ग्राम प्रतिनिधि अथवा गांव के वरिष्ठ व्यक्ति शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए उक्त परिवार को समझाईश देंगे। बच्चों को मातृभाषा (उड़ीया) भाषा की शिक्षा भी ग्रीष्मकालीन अवकाश में दिया जाए।

(2) विवाह :

(2.1) स्वजातिय विवाह ही समाज द्वारा मान्य है।

(2.2) सामुहिक विवाह को अधिक सम्मान दिया जायेगा। जो कि अपने कुल देवी मंदिर या अन्य मंदिर में सामुहिक रूप से हो ।

(2.3) विवाह विशेषतः दिन में ही आयोजित किया जाए।

(2.4) विवाह चूंकि हम समस्त हिन्दु धर्मावलम्बियों की विशेष संस्कार है। अतः हिन्दु पद्धति के अनुकूल धोती कुरता पहनकर ही विवाह किया जायेगा !

(2.5) लड़का-लड़की देखने हेतु अनावश्यक आना-जाना कम करना, यथा संभव पहले लड़का-लड़की की श्रेणी, शिक्षा, गोत्र, व्यवसाय आदि की पूछताछ करने की पश्चात ही आनाजाना प्रारंभ किया जा सकेगा।

(2.6) cgkoltasamaj-org के नाम पर समाज का एक बेवसाईट निर्माण किया गया है। जिसमें संभाग/अंचल/शाखा प्रतिनिधियों के सहयोग से लड़का-लड़की अपनी अपनी बायोडाटा भर सकेंगे। ताकि विवाह के लिए अनावश्यक आवाजाही से बचाजा सके।

(2.7) फलदान : फलदान पर कपड़ा देने की प्रक्रिया बंद एवं फलदान के कार्यक्रम के समय अधिक से अधिक ग्यारह व्यक्ति ही जा सकेंगे। विवाह पर अलंकार धारण पूर्ववत रहेगा जो दोनो पक्ष की सहमति से फलदान के साथ भी की जा सकेगी परंतु 21 व्यक्ति से अधिक का जाना बंद करने का एवं उक्त कार्यक्रमों में वर को जाने पर प्रतिबंधित किया गया है।

(2.8) विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों पर शाकाहारी भोजन की ही व्यवस्था रहेगी।

(2.9) सामाजिक विवाह में कोलता समाज की माता एवं पिता से उत्पन्न पुत्र-पुत्री को ही कोलता समाज के वास्तविक सदस्य होने की मान्यता दी जायेगी।

(2.10) स्वजातिय प्रेम विवाह को मान्यता दिया जायेगा एवं सगोत्री विवाह को मान्यता नहीं दिया जायेगा।
(2.11) विधवा विवाह को मान्यता दी गई है।
(2.12) स्वजातिय प्रेम विवाह होने की स्थिति में मान्य किया जायेगा ।
(2.13) बहू पत्नी में प्रथम पत्नी की सहमति एवं समाज की सहमति से मान्यता दी जा सकेगी।
(2.14) चुड़ी पिंधा प्रक्रिया समाज की अनुमति से लागू किया जा सकेगा।
(2.15) बारात में अधिक से अधिक 120 सदस्य तथा कन्या विदाई पर 21 व्यक्ति शामिल होंगे। वर के साथ कन्या की विदाई की संभावना न होने की स्थति में कन्या विदाई की संख्या 21 व्यक्ति ही रहेगी।
(2.16) बाल विवाह पूर्णतः बंद किया गया है।
(2.17) विवाह दहेज रहित होगा तथा विवाह पर जो कपडा वर पक्ष से दिया जाता है पांच ही होंगे जैसे फलदान, चुरमुद्री, मूड़ढापनी, मायसार एवं बाबूसार। साला को दिया जाने वाला कपड़ा दिया जा सकेगा इसके अलावा सभी स्तर पर कपड़ा देना बंद किया गया है।
(2.18) विवाह में फटाका आतिशबाजी किया जाना बंद होना चाहिए।
(2.19) खरा-ऊसा, बर्तके का व्यवहार यथा संभव बंद होना चाहिए।
(2.20) विवाह में लड़का एवं लड़की दोनों पक्ष को अपने-अपने ग्राम शाखा व सामाजिक प्रणामी शुल्क 121 रूपया जमा करना आवश्यक होगा जिसमें रसीद जारी हो तथा रसीद पर लड़का लड़की का नाम, पिता का नाम, ग्राम, दर कन्या का नाम एवं विवाह दिनांक तथा समय का उल्लेख हो। जिनका पंजीयन शाखा स्तर पर किया जावे। वर-वधु का सचित्र पंजीयन हो कर एवं कन्या के पुरोहित का हस्ताक्षर हो।
(2.21) अंतरजातिय विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है।

(3) मृतक संस्कार :

(3.1) मृतक का कंधा कोई भी दे सकेगा, अतः पूर्ववत रखा गया है।
(3.2) मृतक के कफन का कपड़ा मृतक के परिवार से तथा एक ही दिया जाये। अन्य लोग जो खर्च कफन के लिए करना चाहते हैं तो दाह संस्कार के समय पर घी, धूप, अगरबत्ती, चंदन लकड़ी इत्यादी सुगन्धित पदार्थ दे सकेगे जो कि वातावरण की शुद्धि में सहायक होता है।
(3.3) पोस्टमार्टम की प्रक्रिया किन्हीं कारणवश आवश्यक हो जाता है तो उसे समाज स्वीकार करती है इसमें कोई शुद्धिकरण की प्रक्रिया नहीं होगी।
(3.4) भगवान दण्ड से यदि कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार की सामाजिक शुद्धिकरण किया जावेगा। परिवार से तात्पर्य यह है कि एक मां-बाप से उत्पन्न पुत्र पुत्रियों को ही माना जावेगा। यदि किसी को भगवान दण्ड/फुलपरी प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति तीन दिवस में शुद्धि करावेगा, आवश्यक होता हो तो स्थानीय समाज का निर्णय मान्य होगा। शुद्धिकरण सुकल पूजा द्वारा होगी इस प्रक्रिया को कराने के लिए स्थानीय शाखा अध्यक्ष की अनुमति से प्रधान/भोई (जाएतकरा) द्वारा गौशाला (गुहाल) में पूजा सम्पन्न कराया जायेगा जिसका पारिश्रमिक आयोजक को 251 रूपये देना होगा जिसमें सम्बन्धित पूजा सामग्री अलग होगी।
(3.5) मिठी क्रिया लागू रहेगी परंतु देने वाले जातिय सदस्य अपने घर अथवा मृतक के घर में बनाकर दे सकेगा।
(3.6) तीज कर्म में नाई धोबी का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
(3.7) पाएन छड़ा क्रिया मात्र एकादश कर्म दिवस को ही रखा जायेगा।
(3.8) दशा घाट कार्यक्रम आवश्यक होगा परंतु जाति भोज नहीं होगा।
(3.9) एकादश कर्म एकादश दिन में ही होगा परंतु भेंट में कपड़ा नहीं दिया जायेगा। कपड़ा आदि के स्थान पर आर्थिक सहयोग करने का सुझाव है। एकादश कर्म के दिवस पर दिये जाने वाले भोज में मीठा परोसना बर्जित रहेगा। गंगा भोज के दिवस पर खीर को ही प्रसाद माना जायेगा। एकादश कर्म पर श्रद्धांजली समारोह पूर्ववत लागू रहेगी जिसमें मौन धारण को अनिवार्य किया जाये। श्रद्धांजली पर जाति-सम्मान (गोड़ धुवा) कम से कम पांच लोग जो जातिय बंधु हों को धो सकेंगे।
(3.10) सामाजिक भोज निरामिष भोज होगा।

(3.11) विवाह, मृतक कर्म के आमंत्रण/सूचना पत्र पर अपनी कुल देवी का नाम (श्री श्री श्री रणेश्वर रामचण्डी चरणे शरणम्) दर्ज कराना आवश्यक होगा।

(4) गौ हत्या :

गौ को मारने से मृत्यू पर गो हत्या दण्ड लागू रहेगी जो नरसिंहनाथ में जाकर शुद्ध हो सकेंगे तथा अपने निवास पर सुकल पूजा कराकर शुद्धि होंगे यदि गो की असावधानीवश मृत्यू हो जाती है तो वह व्यक्ति चरणामृत पूजा से शुद्ध हो सकेंगे।

(5) गौ हरण :

गो हरण करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु वाला होता है तो नर्सिंगनाथ जाकर एवं सुकल पूजा करवाने के पश्चात सनाज के मुख्य धारा में जुड़ जायेंगे। यदि 18 वर्ष से उपर का व्यक्ति यह कृत्य करता है तो वह 12 वर्ष पश्चात ही समाज के मुख्य धारा पर सम्मिलित होगा ।

(6) आर्थिक विकास :

(6.1) समाज के विकास हेतु अर्थ संग्रह एक आवश्यक अंग है जिसे एकत्र करना भी आवश्यक है। एकत्र फंड सभी स्तर पर अध्यक्ष, कोषध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंकध्पोस्ट आफिस में बचत खाता खोलकर रख सकेंगे। जिसका आहरण उपरोक्त कि किन्ही दो प्रतिनिधियों से किया जा सकेगा।

(6.2) अर्थ संग्रह वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पांच रूपये लिया जाने का प्रस्ताव है जिसकी रसीद जारी की जावेगी। रसीद बुक संभाग से ही प्राप्त करेंगे अपने स्तर पर किसी प्रकार की रसीद निर्माण नहीं करायें। एकत्र फंड का विभाजन ग्राम, शाखा, अंचल, संभाग तथा प्रान्त हेतु क्रमशः 20.35, 15, 15, 15 प्रतिशत का अंशदान रहेगा। शुल्क की वसूली प्रत्येक वर्ष माह जनवरी तक करा लिया जावे।

(6.3) सामाजिक व्यवहार की पारदर्शिता हेतु निम्न रिकार्ड आवश्यक रूप से शाखा, अंचल, संभाग एवं प्रान्त स्तर पर रखा जाने का प्रस्ताव है।

(1) सदस्यता पंजी
(2) कार्यवाही पंजी
(3) रोकड़ बही
(4) रसीद बुक
(5) व्हाउचर फाईल
(6) आवक-जावक पंजी/ फाईल
(7) स्टॉक पंजी
(8) भूमि/भवन संबंधी फाईल
(9) वार्षिक आय-व्यय लेखा संबंधी फाईल

(6.3) वार्षिक व्यय का लेखा ऑडिट सामाजिक स्तर पर कराना आवश्यक होगा जो संभागीय-कार्यकारिणी अलग-अलग अंचलों के प्रतिनिधियों को अलग-अलग अंचलों में भेजकर करा सकेंगे। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर माह अप्रैल में संभाग के पास सभी ऑडिट रिपोंट जमा कराया जावे। रसीद बुक संभाग से प्राप्त कर सकेंगे तथा जमा राशि का हिसाब एवं खर्च का संपूर्ण नियंत्रण संभाग के अधिन होगा।

(6.4) प्राप्त राशि का व्यय निम्नानुसार रहेगा। स्टेश्नरी पर 20 प्रतिशत, परिवहन 30 प्रतिशत, बैठक पर 25 प्रतिशत शेष 25 प्रतिशत संचित निधि पासबुक में बचत रखना होगा।

समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संगठित होना आवश्यक है तथा संगठन को मजबूत करने के लिये ग्राम स्तर पर, शाखा स्तर पर, अंचल स्तर पर, संभाग स्तर पर एवं प्रदेश स्तर पर समाज के सभी सदस्यों को गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए।

(7) कार्यालयीन विवरण :

संभाग स्तर पर जिला मुख्यालय में एक कार्यालय रखा जावेगा जिसमें पत्र व्यवहार का पता निम्न होगा।

(7.1) संभाग रायपुर : रामचण्डी कालेज, बगईजोर, पोस्टआफिस केन्दुढार, तहसील सरायपाली,
जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन कोड 493558

(7.2) संभाग रायगढ़ : श्री चक्रधर प्रधान, टी.वी. टावर के पास, छोटेअतरमुड़ा, पोस्टआफिस चक्रधरनगर, तहसील जिला रायगढ़ (छ.ग.) पिन कोड 496001

(7.3) संभाग सरगुजा : ग्राम हर्राटिकरा, पोस्टऑफिस प्रतापगढ़, तहसील सीतापुर,
जिला सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ.ग.) पिन कोड

(8) बैठक व्यवस्था :

सभी स्तर की बैठक वर्ष में चार बार करने का तथा प्रांतीय बैठक अलग अलग संभाग में रोस्टर प्रणाली से आयोजित करने का एवं इसी प्रणाली को निचले स्तर पर निर्णय लिया गया है। बैठक की सूचना मुख्य रूप से सचिव/महामंत्री/महासचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से ही जारी करेंगें। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष भी बैठक हेतु पत्र जारी कर सकते हैं।

(9) निर्वाचन :

समाज के सभी स्तर पर निर्धारित प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त प्रदेश स्तर पर एवं संभागीय स्तर पर अलग अलग निर्वाचन अधिकारी होंगे। जो शाखा से लेकर प्रदेश स्तर पर निर्वाचन करवायेंगे। प्रमुख निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी तथा संभागीय कार्यकारिणी की सहमति से सहायक निर्वाचन अधिकारी कि नियुक्ति प्रमुख निर्वाचन अधिकारी करेंगे। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल नये पदाधिकारियों के शपथ तक होगा।

(10) पदच्युत :

प्रदेश अध्यक्ष के त्याग पत्र देने कि दिथति में त्याग पत्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रान्त को दे सकेंगे। अन्य प्रांतीय पदाधिकारी का त्यागपत्र प्रांतीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। संभाग कमेटी का त्यागपत्र स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार प्रातीय कमेटी का होगा। शाखा एवं अंचल के पदाधिकारियों का त्याग पत्र या पदच्युत संभाग कमेटी की अधिकार क्षेत्र में रहेगा। ग्राम प्रतिनिध का त्यागपत्र स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार शाखा सभा को होगा।

(11) कोई निर्वाचित अथवा मनोनित पद 3 माह से अधिक खाली नहीं रहेगा।

(12) आवेदन की प्रक्रिया :

किसी प्रकार की विवाद एवं अन्य विषयों पर निपटारा के लिए आवेदन निचले स्तर से प्रारंभ होकर क्रमवार उच्चतर स्तर को प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन शुल्क ग्राम स्तर पर 100 रूपया शाखा स्तर पर 300 रूपया अंचला स्तर पर 400 रूपया, संभाग स्तर पर 500 रूपया तथा प्रदेश स्तर पर 1000 रूपये लेने होंगे साथ ही बैठक पर होने वाला व्यय, आवेदन कर्त्ताओं को वहन करना होगा।

(13) निराकरण शुल्क :
सभी विषयों पर निराकरण शुल्क लेने की अधिकतम सीमा निम्नानुसार रहेगा।

(1) प्रदेश स्तर पर 20000/-
(2) संभाग स्तर पर 10000/-
(3) अंचल स्तर पर 7,000/-
(4) शाखा स्तर पर 5000/-
(5) ग्राम स्तर पर 2000/-

शैक्षणिक विकास

(14) शिक्षा क्षेत्र :

(14.1) सभी संभाग अपने अपने स्तर पर विशेषकर छात्राओं के लिए छात्रावास संचालन कराने का प्रयास करेंगे।
(14.2) निर्धन छात्र छात्राओं को संभाग/अंचल स्तर चिन्हांकित कराया जाये जो 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत हों।
(14.3) सभी शाखा, अंचल, संभाग से 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सूचि प्राप्त कर समाज के द्वारा उन्हें उचित दिशा निर्देश देकर यथा संभव सहयोग प्रदान किया जावेग।
(14.4) प्रतिभावन छात्र-छात्राओं का सभी स्तर पर अध्यनरत छात्र छात्राओं की सूची प्राप्त यथा संभव सहयोग प्रदान किया जावे।
(14.5) बेवसाईट : cgkoltasamaj-org के नाम वेबसाइट खोलने का अनुमोदन किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष
राजकुमार गुप्ता
छत्तीसगढ़ कोलता समाज रायपुर,
मो. 9425250245

प्रदेश महासचिव
भुवनेश्वर सदावर्ती
छत्तीसगढ़ कोलता समाज रायपुर,
मो. 9617747784

प्रदेश कोषाध्यक्ष
अतुल प्रधान
छत्तीसगढ़ कौलता समाज
रायपुर, मो. 9926186150

प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक

दिनांक : 09/02/2013
स्थान : ग्राम बैदपाली, विकास खण्ड सरायपाली, जिला - महासमुंद (छ.ग.)
में अनुमोदित सामाजिक नियमावली की सत्य-प्रतिलिपी

अध्यक्ष
गिरधारी साहू
बाबा बिशासहे कुल कोलता समाज रायपुर, छ.ग.
मो. 9926141539

महामंत्री
मथामणी बढ़ाई
बाबा बिशासहे कुल कोलता समाज रायपुर, छ.ग.
मो. 7697083939